भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2922

10 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

विषय-विभिन्न सिंचाई प्रणालियाँ

2922. मोहम्मद रकीबुल हुसैनः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या असम के बाढ़ प्रभावित जिलों के लिए उद्वाह सिंचाई और सौर ऊर्जा से चलने वाली सिंचाई प्रणालियों पर विचार किया जा रहा है;

(ख) अब तक ऐसी कितनी प्रणालियों को अनुमोदित अथवा संस्थापित किया गया है;

(ग) इससे कितनी कृषि भूमि लाभान्वित हुई है; और

(घ) क्या अतिरिक्त स्वीकृतियों पर विचार किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री भागीरथ चौधरी)

(क) से (घ): प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - हर खेत को पानी (पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी) के अंतर्गत असम के बाढ़ प्रभावित जिलों में लघु सिंचाई परियोजनाएँ विचार किए जाने के लिए पात्र हैं। वर्तमान में, पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी के तहत असम में 474 सतही लघु सिंचाई (एसएमआई) योजनाओं वाले 10 क्लस्टर कार्यान्वित किए जा रहे हैं। इन योजनाओं के कार्यान्वयन से मार्च 2025 तक 1.32 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता सृजित की जा चुकी है। इन योजनाओं का विवरण अनुबंध में दिया गया है।

सरकार द्वारा मार्च 2019 में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान (पीएम-कुसुम) योजना का शुभारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य किसानों को स्टैंडएलोन सौर पंप लगाने और मौजूदा ग्रिड कनेक्टेड कृषि पंपों को सौर ऊर्जा से संचालित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना और किसानों को अपनी बंजर/परती/कृषि भूमि पर सोलर पावरप्लांट्स स्थापित करके सौर उद्यमी बनने का अवसर प्रदान करना है। यह मांग आधारित योजना है और राज्य द्वारा उठाई गई मांग और प्राप्त किए गए लक्ष्यों के आधार पर क्षमताएं आवंटित की जाती हैं। यह योजना असम सहित सभी राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों सहित जिला स्तर पर लाभार्थियों के चयन और योजना के आगे कार्यान्वयन के लिए राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों (एसआईए) को सशक्त बनाया गया है। एसआईए द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दिनांक 28.02.2026 तक, 1695 पंपों के लिए अवार्ड लेटर/वर्क ऑर्डर जारी किए गए हैं, जिनमें से 1,066 सौर पंप पीएम-कुसुम योजना के तहत असम में स्थापित किए जा चुके हैं जिसमें राज्य के बाढ़ प्रभावित जिले भी शामिल हैं। इन पंपों से लगभग 3390 हेक्टेयर कृषि भूमि को कवर किया जाना अनुमानित है।

दिनांक 10.03.2026 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2922 से संबंधित अनुबंध

पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी के अंतर्गत असम में कार्यान्वित की जा रही सतही लघु सिंचाई योजनाओं का विवरण

(रुपये करोड़ में, सिंचाई क्षमता (आईपी) हेक्टेयर में)

क्र. सं.	राज्य	प्रकार	अनुमोदन का वर्ष	योजनाओं की कुल संख्या	अनुमानित लागत	केंद्रीय हिस्सा	लक्षित आईपी	मार्च 2025 तक जारी की गई केंद्रीय सहायता	2025-26 के दौरान जारी की गई मूल स्वीकृति	मार्च 2025 तक सृजित आईपी
1	असम बीटीसी	एसएमआई	2012-13	152	360.47	324.42	32357.00	315.32		27410
2	असम बीटीसी	एसएमआई	2012-13	15	198.51	178.66	16645.00	172.60		13790
3	असम बीटीसी	एसएमआई	2013-14	60	615.38	553.84	48184.00	526.81		28743
4	असम जनरल	एसएमआई	2012-13	36	364.16	274.51	29976.00	249.89	11.275	24989
5	असम जनरल	एसएमआई	2013-14	49	322.69	187.07	27129.00	160.87	10.245	11944
6	असम जनरल	एसएमआई	2013-14	15	172.00	138.11	12002.00	132.86	2.625	9283.00
7	असम एनसीएचएसी	एसएमआई	2012-13	30	129.67	116.70	8855.00	107.73		8750
8	असम एनसीएचएसी	एसएमआई	2013-14	8	9.10	8.19	620.00	7.13		580.00
9	असम बीटीसी	एसएमआई	2021-22	100	500.34	450.31	34182	44.435	22.40	7035.00
10	असम जनरल	एसएमआई	2022-23	9	302.07	271.86	7605.00	94.035	50.00	0
				474	2974.39	2503.67	183373	1811.68	96.545	132524

*****